न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–68/1997

CIS NO. TS 157/2019

अशोक कुमार दीक्षित एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

जलेश्वर नाथ दीक्षित एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
25.06.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 29.05.2018 अंतर्गत आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि वादीगण ने विवादित भूमि प्रतिवादी सं0–03 रामाधार प्रसाद से बैयनामा दस्तावेज दिनांक 21.03.1994 को खरीद वो हासिल किया और उसी भूमि को प्रतिवादी सं0–01 ने प्रतिवादी सं0–03 के लड़के सुरेन्द्र प्रसाद से खरीद लिया, जिसको लेकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच हकियत का प्रश्न उत्पन्न हो गया। इसलिए यह वाद दाखिल किया गया है। मुकदमा के दौरान प्रतिवादी सं0–03 रामाधार की मृत्यु हो गई तत्तपश्चात् उनकी पत्नी वो 05 लड़कियां इस वाद में प्रतिस्थापित हुई। वादीगण द्वारा एक संशोधन का आवेदनपत्र दाखिल किया गया, जिसे सुनवाई के उपरांत श्रीमान् द्वारा दिनांक 17.12.2011 को अस्वीकार कर दिया गया जिसके विरूद्ध वादीगण ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सी.डब्लू.जे.सी.–1791/2012 दाखिल किया जो अग्रिम कार्रवाही हेतु स्थगित कर दी गई है। इसी बीच प्रतिवादी सं0–03 के लड़के सुरेन्द्र प्रसाद की मृत्यु हो गया तत्तपश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उनके वारिसान प्रतिस्थापित किये गये है। वादीगण और प्रतिवादीगण के बीच सुलह समझौता हो गया है। लिहाजा प्रतिवादी सं0–02 और 03 इस मुकदमा में पक्षकार नहीं रह गए है। इस वाद में प्रतिवादी सं0–02 वो 03 न तो उपस्थित हुए है और न ही ब्यान तहरीरी दाखिल कर संघर्ष कर रहे है। लेहाजा प्रतिवादी सं0–02 वो 03 का नाम वाद–पत्र से कलमजद होना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रतिवादी सं0–02 वो 03 का नाम वाद–पत्र	

<u>न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–68/1997</u>

<u>CIS NO. TS 157/2019</u>

अशोक कुमार दीक्षित एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

जलेश्वर नाथ दीक्षित एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 25.06.2025	से कलमजद करने का आदेश देने की कृपा प्रदान किया जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज किया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 29.05.2018 को दाखिल किया गया एवं प्रतिवादी सं0–02 और प्रतिवादी सं0–03 का नाम वाद पत्र से कलमजद करने का निवेदन किया गया है। वादीगण के आवेदन में कथन किया गया है कि वादीगण और प्रतिवादीगण के बीच सुलह समझौता हो गया है। लिहाजा प्रतिवादी सं0–02 और 03 इस मुकदमा में पक्षकार नहीं रह गए है। प्रतिवादीगण के द्वारा आवेदन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 29.05.2018 स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर प्रतिवादी सं0–02 और 03 का नाम वाद पत्र से कलमजद करें। दिनांक 07.07.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	